फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह चौहान पुत्र श्री डाऊसिंह चौहान ग्राम समेलिया तहसील भीम
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी–अति. जिला कलक्टर, राजसमंद **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 13/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद, राजसमंद से संबंधित होने से राज्य लोक सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 100 फिट रोड जि.प. राजसमंद को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की सहधारा 3 के तहत आवेदन जरिये पत्रांक: 1294–95 दिनांक 30.12.2021 से हस्तान्तरित किया गया। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. राजसमंद द्वारा पत्रांक: जिपरा/पीएमएवाईजी/सू.अ./2021–22/219 दिनांक 02.03.2022 में उल्लेख किया कि अपीलांट श्री कानसिंह पुत्र श्री डाऊसिंह चौहान नि. समेलिया द्वारा आवेदन कर सूचना चाही थी जिसमें विकास अधिकारी, पं.स. भीम एवं अन्य पंचायत समिति द्वारा आवेदक को अवगत कराया कि:– (1) प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास की पात्रता/अपात्रता का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। (2) इस कार्यालय से संबंधित सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिये आमजन के द्वारा ई–मित्र के माध्यम से या स्वंय के द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार संपूर्ण जांच प्रकिया पश्चात पात्र पाये जाने पर आवेदन स्वीकृत किया जाता है और नियमानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। (3) आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना https://pmayg.nic.in/netive/home.aspx वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसमें देखी जा सकती है एवं आवश्यकता हो तो पंचायत समिति/जिला परिषद स्तर पर संर्पक स्थापित किया जा सकता है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद, राजसमंद से संबंधित होने से धारा 6 (3) के तहत आवेदन जरिये पत्रांक: 1294–95 दिनांक 30.12.2021 से जि.प.राजसमंद को हस्तान्तरित किया गया। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. राजसमंद द्वारा पत्रांक:	

न्यायालय जिला कलक्टर

जिपरा/पीएमएवाईजी/सू.अ./2021–22/219 दिनांक 02.03.2022 से इस कार्यालय को प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलांट श्री कानसिंह पुत्र श्री डाऊसिंह चौहान नि. समेलिया को भी पृष्ठाकंन किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलांट एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)